राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./30015-515 जयपुर दिनांक 16.06.2009

1. उप निदेशक/सहायक निदेशक/
   जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
   .... (मय सम्बन्धित जिले में स्थापित आर.के.सी.एल. केन्द्रों की सूची के)
2. प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक, समस्त संस्थाएँ, एसजेई
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, मुख्यालय
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जिला कार्यालय (सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से)
5. समस्त परियोजना निदेशक/कर्मचारी, एससीडीसी निगम
6. परियोजना निदेशक एवं समस्त कर्मचारी ओबीसी निगम/अल्पसंख्यक निगम
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक (सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से)

विषय : **कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में** ।

वर्तमान परिपेक्ष्य में कम्प्यूटर कार्यालय का एक अत्यावश्यक अंग बन चुका है और इसके ज्ञान के अभाव में दिन-प्रतिदिन के राजकार्य के निष्पादन में कठिनाई होना पाया जाता है। उपरोक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की जानकारी होने की आवश्यकता महसूस की गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय, जिला कार्यालयों एवं समस्त संस्थाओं के ऑन-लाइन कम्प्यूटराईजेशन के साथ-साथ राजकीय छात्रावास के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगति पर है। **उक्त प्रयोजनार्थ विभाग में पदस्थापित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (सहायक कर्मचारी के अलावा)/छात्रावास अधीक्षकों को कम्प्यूटर के प्रचालन के सामान्य ज्ञान की जानकारी आवश्यक रुप से हो ताकि विभाग की समस्त योजनाओं के ऑन-लाईन सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के साथ-साथ, दिन-प्रतिदिन के अन्य कार्य कम्प्यूटर पर किये जाने एवं ई-मेल के संप्रेषण आदि में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडे** । इससे राजकीय हित में न केवल कार्यक्षमता में प्रभावी रुप से वृद्धि होगी बल्कि राजकीय संसाधनों का बेहतरीन उपयोग होना भी संभव हो सकेगा ताकि समय एवं धन के व्यय में मितव्ययता की जा सके।

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक स. एफ.07(103)/डीओआईटी/डिपार्ट./एमएल-64 दिनांक 2.4.09 की फोटो प्रति संलग्नानुसार भेजकर लेख है कि विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारी (सहायक कर्मचारी के अलावा) /छात्रावास अधीक्षक को तीन माह के कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के 1347 अधिकृत केन्द्र, जो कि सम्पूर्ण राजस्थान में कार्यरत है से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.rkcl.in पर भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण हेतु जिलेवार केन्द्रों की सूची संलग्न हैं। उक्त सूची में से अपने निकटतम केन्द्र के प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता हैं तथा कोर्स एवं प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

E:\off_apr08.doc

0617
1/8/09
Shri Garg
Mr Naresh put on website
1/8.

उल्लेखनीय है कि उक्त कोर्स की फीस 2300/– रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी है, जो प्रशिक्षणार्थी को स्वयं जमा करानी होगी। उक्त कोर्स में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी को यह राशि राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण कर दी जावेगी साथ ही यदि प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये जाने पर 575/–रु. प्रोत्साहन राशि के रुप में अतिरिक्त रुप से (फीस के अलावा) प्रदान किये जायेगे।

आरकेसीएल के अधिकृत केन्द्रों पर प्रशिक्षण में प्रवेश निम्नानुसार लेना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में भाग लेने की सुनिश्चिता के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/जिला अधिकारी /संस्था प्रभारी इसके समन्वयक होंगे एवं की गई कार्यवाही से मुख्यालय स्थित पदस्थापित एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (नोड़ल अधिकारी) को सूचित करेंगे।

1.	समस्त छात्रावास अधीक्षक	माह जुलाई 2009 वाले बैच में
2	समस्त कर्मचारी	माह जुलाई 2009 अथवा अक्टूबर 2009 में से किसी एक बैच में
3	समस्त अधिकारी	माह जुलाई 2009 अथवा अक्टूबर 2009 में से किसी एक बैच में

आयुक्त एवं शासन सचिव

कमांक: एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./30516-23 जयपुर दिनांक 16/6/2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4 निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6 उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु समन्वयक का कार्य संपादित करेंगे।
7 श्री जी.के.गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग), राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
8 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मुख्यावास, को उक्त कार्ययोजना हेतु नोड़ल अधिकारी नामित किया जाता है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

E:\off_apr08.doc